



## कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 14/04/2021

### **कोविड संक्रमण के नियंत्रण के सम्बन्ध में जनता से अपील:-**

1. सामान्यतः अपने घरों में ही रहें। अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें।
2. सोच समझकर घर से लिस्ट बनाकर एक साथ कई सामान खरीदने निकलें, कुछ दिनों का अन्तराल रखें।
3. घर से निकलते समय मास्क/ग्लव्स का प्रयोग अवश्य करें। सैनिटाइजर साथ रखें।
4. 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्ति, एक साथ कई रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त घरों से न निकलें।
5. खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या टीशू या रूमाल से ढंक लें। प्रयोग के बाद उसे डस्टबिन में ही फेंके।
6. भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। राशन, सब्जी, दूध, दवायें, फल व अन्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करते समय सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल (दो गज दूरी) का पालन करें।
7. भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जैसे मंडी, बाजार में जाने से बेहतर है कि अपने मोहल्ले व गली में आने वाले फल/सब्जी विक्रेता के ठेलों से सामग्री क्रय करें अथवा ऑनलाइन आर्डर करें।
8. दुकानों में दुकानदार, ग्राहक, विक्रेता सभी मास्क लगायें।
9. आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच एप को अनिवार्य रूप से अपने-अपने मोबाईल फोन पर डाउनलोड करें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, गुटखा आदि खाकर न थूकें।

11. दो पहिया वाहन से अधिकतम दो व्यक्ति ही चलें तथा दोनों व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें। चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन से चार व्यक्ति ही चलें तथा मास्क का भी प्रयोग करें।
12. मेडिकल इमरजेंसी या चिकित्सीय परामर्श के लिए जाते समय मेडिकल पेपर अपने पास अवश्य रखें।
13. कोरोना से संक्रमित होने पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करते हुए कोविड कमाण्ड व कन्ट्रोल हेल्पलाइन नं0 पर कॉल करें।
14. वैक्सीनेशन की प्रथम व द्वितीय डोज निर्धारित समय पर अवश्य लगवायें
15. सोशल मीडिया में प्रकाशित होने वाली अपवाहों या फेक न्यूज की पुष्टि किए बिना फारवर्ड ना करें।
16. उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 11.04.2021 को जारी गाइडलाइन्स के क्रम में किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही तथा खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता का पालन कराया जाये।

### **निम्नलिखित कार्य करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी-**

1. कोचिंग संस्थानों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें, ना करने पर संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
2. दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
3. बीमारी की टेस्टिंग में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
4. शव दाह संस्कार में प्रयुक्त लकड़ियों की कीमत निर्धारित कीमत से अधिक लेने पर भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
5. अन्य जनपदों से वाराणसी घूमने व बिना कार्य के आने वालों को बार्डर पर बैरियर लगाकर चेक किया जायेगा। बार्डर चेक प्वाइंट का विवरण निम्नवत है-
  - (1) गाजीपुर रोड पर लेहूपुर बार्डर, (2) चन्दौली रोड पर पड़ाव सूजाबाद बार्डर, (3) आजमगढ़ रोड पर रिंग रोड अण्डर पास बार्डर, (4) मिर्जापुर रोड पर भीटी चौकी

बार्डर, (5) चन्दौली रोड पर पररिया बार्डर, (6) जौनपुर रोड पर भेल कम्पनी बार्डर, (7) प्रयागराज रोड पर पीएसी भुल्लनपुर गेट बार्डर, (8) अखरी रोड पर कनवा तिराहा बार्डर व (9) डॉफी रोड पर डॉफी चौकी बार्डर

6. इस समय ट्रेन व प्लेन में यात्रा करने वालों को निर्धारित संख्या में आने की छूट होगी।
7. आवश्यक सेवाओं के वाहनों को सामान्य रूप से प्रवेश दिया जायेगा।

### दिनांक 01.04.2021 से 13.04.2021 तक की गई प्रवर्तन की कार्यवाही-

1. पुलिस कन्ट्रोल रूम के 40, नगर निगम के 55 एवं सभी थानों की गाड़ियों व 35 पीआरवी द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार कोविड की गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है।
2. कमिशनरेट वाराणसी पुलिस द्वारा दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 13.04.2021 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न है-

बिना मास्क के		धारा 188 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही	वाहनों का चालान	सीज किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों से शमन शुल्क
चालान	जुर्माना				
8335	4,14,950/-	48	10,050	29	979 वाहनों से 5,35,800/-

नोट:- इस महत्वपूर्ण कार्य में काशी वासियों से एवं मीडिया के साथियों से विनम्र सहयोग की अपेक्षा है।

मीडिया सेल  
पुलिस आयुक्त  
वाराणसी।